न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 07/2023 दायरा दिनांक 10.08.2023
GCMS No. 2023/33

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. अब्दुल जाकीर पुत्र ताजुद्दीन जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. मंजूर आलम कुरैशी पुत्र नूरद्दीन जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां सचिव अंजुमन इस्लामियां जामा मस्जिद कमेटी कस्बाथाना।
3. अब्दुल हनीफ पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां सरपरस्त अंजुमन इस्लामियां जामा मस्जिद कमेटी कस्बाथाना।
4. इस्लामुद्दीन कुरैशी पुत्र अलाउद्दीन जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां, नायब सदर अंजुमन इस्लामियां जामा मस्जिद कमेटी कस्बाथाना।
5. जफर खान पुत्र शाहमीर खान जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां कोषाध्यक्ष अंजुमन इस्लामियां जामा मस्जिद कमेटी कस्बाथाना।
6. इश्त्याक अहमद पुत्र मोहम्मद अहमद जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां।
7. मोहम्मद शोएब उद्दीन पुत्र शमीउद्दीन जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां।

– अपीलाण्टस्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला–बारां राजस्थान

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री एस.के. शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 28.08.2024

अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 24.09.2022 ग्राम कस्बाथाना अन्तर्गत धारा 75 भू. राज. अधिनियम

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.09.2022 ग्राम कस्बाथाना को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 24.09.2022 कस्बाथाना विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत, अवैध, विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

ग्राम कस्बाथाना की भूमि चारागाह खसरा नम्बर 400 रकबा 2.10 बीघा जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक एफ–4(5)(125)राजस्व/2022/09165 दिनांक 06.09.2022 से ग्राम कस्बाथाना ग्राम पंचायत कस्बाथाना तहसील शाहबाद के लिए कब्रिस्तान हेतु आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है। जिला कलक्टर बारां के उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने का आदेश जिला कलक्टर बारां द्वारा रेस्पोडेण्ट को दिया गया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा जिला कलक्टर बारां के उक्त आदेशानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना था।

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेण्ट द्वारा जिला कलक्टर बारां के उपरोक्त वर्णित आदेश की पालना में आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया। हल्का पटवारी द्वारा उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 1901 खोला जाकर नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 16 में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित का नामान्तरकरण खोला जाकर अग्रिम कार्यवाही जांच व तस्दीक हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कस्बाथाना के समक्ष पेश किया। भू–अभिलेख निरीक्षण कस्बाथाना द्वारा जांच रिपोर्ट 23.09.2022 जो नामान्तरकरण संख्या 1901 के कॉलम नं. 01 से 07 में दर्ज है, लाल स्याही से अंकित जांच रिपोर्ट में रिपोर्ट पटवारी, जिला कलक्टर बारां के पूर्व वर्णित आदेश के अनुसार सही पाई जाकर जांच रिपोर्ट में कब्रिस्तान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की अनुशंषा की, हल्का पटवारी रिपोर्ट 09.08.2022 भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच दिनांक 23.09.2022 के आधार पर तहसीलदार शाहबाद द्वारा 24.09.2022 को नामान्तरकरण स्वीकार कर तस्दीक किया। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 24.09.2022 तस्दीक होकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में हल्का पटवारी द्वारा अमल किया गया।

ग्राम कस्बाथाना निवासी अब्दुल रहीम, सकूर मोहम्मद, अब्दुल सलीम, फरीद अहमद द्वारा रेस्पोडेण्ट को दिनांक 25.01.2022 को प्रार्थना पत्र कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन का प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोडेण्ट के आदेश से ग्राम पंचायत कस्बाथाना द्वारा भी खसरा नम्बर 400 में से 2.10 बीघा भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 2022/81 दिनांक 20.01.2022 कब्रिस्तान हेतु आवंटित करने का, पटवारी तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 भी कब्रिस्तान हेतु आवंटित करने हेतु पेश की तत्पश्चात जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक एफ–4(5)(125)राजस्व/2022/09165 दिनांक 06.09.2022 को कब्रिस्तान हेतु सेट–अपार्ट किया गया तथा उक्त समस्त रिपोर्ट व आदेश जिला कलक्टर बारां द्वारा भूमि कब्रिस्तान हेतु सेट–अपार्ट की गई। अपीलाधीन नामान्तरकरण से भी भलीभांति प्रमाणित है कि नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 24.09.2022 ग्राम कस्बाथाना कब्रिस्तान के नाम तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया। उक्त प्रकार कब्रिस्तान सर्व मुस्लिम समाज हेतु भूमि आवंटन हो गई सर्व मुस्लिम समाज द्वारा आवंटन दिनांक से 15 वर्ष से पत्थरों की कच्ची बाउण्ड्रीवाल मौके पर निर्मित थी, जिसकी मुस्लिम समाज देखरेख करता रहा, मुस्लिम समाज द्वारा पौधारोपण गत वर्षो में किया गया था। जिला कलक्टर बारां के आदेशानुसार नामान्तरकरण तहसीलदार शाहबाद द्वारा दर्ज किये जाने के पश्चात् हल्का पटवारी को नामान्तरकरण में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के नामान्तरकरण में फेरबदल, कूटरचना करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा जो कीपर ऑफ रिकार्ड है, ने शेख समुदाय के व्यक्ति अब्दुल रहीम, सकूर मोहम्मद, अब्दुल सलीम, फरीद अहमद के साथ षड़यंत्र में शामिल होकर कब्रिस्तान को आवंटित भूमि को मुस्लिम समाज के वर्ग विशेष "शेख" को आधिपत्य कराने को मनमाने तौर पर सर्वथा विधि विरूद्ध तरीके से, नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 24.09.2022 में स्वयं की रिपोर्ट दिनांक 09.08.2022 भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 23.09.2022 रिकार्ड में नामान्तरकरण पर दर्ज होने के बाबजूद सर्वथा विधि विरूद्ध तरीके से मनमाने तौर पर अपीलाधीन नामान्तरकरण में कूटरचना करते हुए कॉलम नं. 09 में कब्रिस्तान के इन्द्राज के नीचे कूटरचना करते हुए शेखों का दर्ज किया। उक्त कूटरचना राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी की जाकर कब्रिस्तान के साथ कूटरचना कर शेखों का दर्ज कर दिया। उपरोक्त कूटरचना किये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

हल्का पटवारी द्वारा अब्दुल रहीम, सकूर मोहम्मद, अब्दुल सलीम, फरीद अहमद जो शेख समाज के है, के प्रभाव में आकर उनके साथ षडयंत्र में शामिल होकर कब्रिस्तान की भूमि को वर्ग विशेष शेखों के नाम राजस्व रिकार्ड में कूटरचना कर दिये जाने से मुस्लिम समाज के अन्य वर्ग काजी, पठान, फकीर, कुरैशी आदि व शेखों के मध्य सामाजिक विद्वेषता, तनाव, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुस्लिम समाज द्वारा मंहगाई राहत एवं प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्राम कस्बाथाना पर

Scanned with OKEN Scanner

शिविर मे मुस्लिम समाज द्वारा उक्त कूटरना व षडयंत्र के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर जिला कलक्टर बारां के आवंटन आदेशानुसार कब्रिस्तान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना लिखित व मौखिक रूप से शिविर प्रभारी उपजिला कलक्टर शाहवाद को की गई थी, लेकिन अब्दुल रहीम, सकूर मोहम्मद, अब्दुल सलीम, फरीद अहमद सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के नजदीकी होकर प्रशासन में दखल व प्रभाव रखते है। उनके प्रभाव के आगे प्रशासन बोना साबित हुआ व राजस्व रिकार्ड में कूटरचना जैसे गम्भीर अपराध, जिला कलक्टर के आदेश आवंटन की अवज्ञा कर शेखों का दर्ज कर दिये जाने के गम्भीर मामलें में भी कोई कार्यवाही नहीं की तथा उसके पश्चात् कब्रिस्तान की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाना था, लेकिन अब्दुल रहीम, सकूर मोहम्मद, अब्दुल सलीम, फरीद अहमद ने उक्त बाउण्ड्रीवाल के लगभग 60–70 ट्राली पत्थरों का उपयोग नवीन पक्की बाउण्ड्रीवाल में लगाकर कर लिया था उक्त पत्थर मुस्लिम समाज के थे लेकिन उक्त पत्थरों का निर्माण में मेजरमेन्ट करवाकर सरकारी राशि को भी हड़प लिया, कब्रिस्तान हेतु सेट–अपार्ट भूमि से ईगाह तक जाने का जो परम्परागत, प्राचीन रास्ता था को भी पक्की बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध कर दिया। अब्दुल रहीम, सकूर मोहम्मद, अब्दुल सलीम, फरीद अहमद उक्त लोगों का शासन में प्रभाव दखल किस हद तक है, इस बात से भी प्रमाणित होता है कि उक्त लोगों द्वारा कब्रिस्तान आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2022 को दिया लेकिन प्रभाव व दखल का दुरूपयोग करते हुए ग्राम पंचायत कस्बाथाना का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2022, तहसीलदार, हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.01.2022 को आवेदन करने से पूर्व ही तैयार करवा ली गई तथा उक्त लोगों के प्रभाव में तहसीलदार, भू.अ.नि. पटवारी द्वारा उक्त भूमि पर मुस्लिम समाज की पत्थरों की कच्ची बाउण्ड्रीवाल का उल्लेख तक नहीं किया जाकर उक्त भूमि को मौके पर खाली बताया गया। इस प्रकार प्रशासनिक कार्मिक अब्दुल रहीम, सकूर मोहम्मद, अब्दुल सलीम, फरीद अहमद ने उक्त प्रभाव का दुरूपयोग करते हुये हल्का पटवारी को षडयंत्र में शामिल कर अनीलाधीन नामान्तरकरण में कूटरचना कर शेखों का इन्द्राज करवा दिया, जो कि जिला कलक्टर बारां के आवंटन आदेश के सर्वथा विपरीत होकर अवैध व विधि विरूद्ध होने से निरस्त कियो जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.04.2023 को उक्त आराजियात की पटवारी हल्का से नकल नामान्तरकरण लेने पर पता चला कि उक्त आराजियात के नामान्तरकरण संख्या 1901 में कब्रिस्तान की भूमि को वर्ग विशेष शेखो के नाम दर्ज कर दिया गया है जिसकी अपीलान्टस को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.04.2023 को पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुई है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में कब्रिस्तान की भूमि को वर्ग विशेष शेखो के नाम गलत दर्ज किया गया है जबकि जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक एफ–4(5)(125)राजस्व/2022/09165 दिनांक 06.09.2022 से ग्राम कस्बाथाना ग्राम पंचायत कस्बाथाना तहसील शाहबाद के लिए कब्रिस्तान हेतु आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है। जिला कलक्टर बारां के उक्त आदेशानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना था।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में कब्रिस्तान की भूमि को वर्ग विशेष शेखो के नाम गलत दर्ज किया गया है जबकि जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक एफ–4(5)(125)राजस्व/2022/09165 दिनांक 06.09.2022 से ग्राम कस्बाथाना के लिए कब्रिस्तान हेतु आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज में कब्रिस्तान की भूमि को वर्ग विशेष शेखो के नाम गलत दर्ज होना पाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कस्बाथाना का नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 24.09.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि श्रीमान जिला कलक्टर बारां के आवंटन आदेश क्रमांक एफ–4(5)(125)राजस्व/2022/09165 दिनांक 06.09.2022 अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल नामान्तरकरण संख्या 1901 दिनांक 24.09.2022 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner